



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

No. 549]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2003/कार्तिक 19, 1925

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2003/KARTIKA 19, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2003

सं. 101/2003-सीमा शुल्क (नै.टै.)

सा.का.नि. 878(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) तथा धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

2. (1) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2003 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-I में पैराग्राफ 8 में उप-पैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) उप-पैरा (2) में किसी भी बात का उल्लेख होते हुए भी पदनामित प्राधिकारी ऐसे देश को, बाजार अर्थव्यवस्था वाला ऐसा देश मान सकता है जिसे संगत मानदण्ड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, लोक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा, किसी ऐसे देश जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य हो द्वारा, प्रतिपाटन अन्वेषणों के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।”

[फा.सं. 528/110/2003-सीमा शुल्क (टी.यू.)]

डी. एस. गर्ब्याल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. 1(अ) दिनांक पहली जनवरी, 1995 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 4 जनवरी, 2002 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2003

No. 101/2003-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 878(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9A and Sub-section (2) of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :—

2. (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Annexure I to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in paragraph 8, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub-paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organisation.”

[F. No. 528/110/2003-CUS(TU)]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1995 and was last amended *vide* G.S.R. 11(E), dated the 4th January, 2002.